न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल कैम्प रीवा, म0प्र0

रमेश वैसवाल ——————आवेदक

बनाम्

म0प्र0 शासन ——————अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3)
म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि उन्मानित निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0 माननीय न्यायालय में आज दिनांक को पंजीयन तर्क हेतु नियत थी।

2— यह कि प्रकरण में सुनवाई की पुकार के दौरान प्रकरण की पैरबी कर रहे अधिवक्ता सिविल न्यायालय कोर्ट के एक अन्य प्रकरण में गवाही करा रहे थे, जिससे उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हो सके, जिससे अधिवक्ता व आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरबी में खारिज कर दिया गया है।

3— यह कि आवेदक व उसके अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही नही बरती गई है, बल्कि भूलवश प्रकरण में उपस्थित नही हो सके थे, जिस कारण प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिया जाना न्याय हित में आवश्यक होगा।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता का स्वीकार किया जाकर प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाय।

दिनांक 18/5/15

आवेदक
रमेश वैसवाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. रि. 1160/111/15 जिला सिंगरौली

रमेश वैसवार / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-02-16	आवेदक अधिवक्ता विकास मिश्रा को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यू आवेदन के साथ आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई इसके साथ ही आवेदन पत्र में वांछित प्रकरण का प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक भी अंकित नहीं किया गया है। आवेदक अधिवक्ता को न्यायहित में आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30-1-16 तक का समय दिया गया। उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। जिससे यह स्पष्ट है कि वे प्रकरण को आगे चलाने में पूर्णतः उदासीन होकर रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः यह रिव्यू आवेदन दिनांक 14-5-15 परिणामस्वरूप निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल हो। 10.2.16 सदस्य	

[कृ. प. उ.